न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

अपील संख्या: 24 / 2022 तारीख रजू 04.05.2022

अकीला पुत्री छोटे खां पत्नि रफीकउदीन निवासी ग्राम खिरनी विवाह उपरान्त हाल निवासी शहर सवाई माधोपुर

......अपीलान्ट

बनाम

1. आकीफ खां उर्फ अक्कू मुन्शी पुत्र छोटे खां ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर हाल निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर, सवाई माधोपुर।
2. रहमत खां उर्फ चून्या ड्राईवर वल्द छोटे खां ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर हाल निवासी फलौदी क्वारी सीमेन्ट फैक्ट्री।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

निर्णयः– दिनांक 13.08.2025

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 21.03.2004 एवं नामान्तरकरण संख्या 129 वाके ग्राम खिरनी के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा वारिसान की बिना जांच किये आराजी खसरा नम्बर 1551, 1554, 3563, 3565, 3568, 3570, 3603, 3604, 3903, 7047 एवं 7599 वाके ग्राम खिरनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी तथा आदेश दिनांक 21.03.2004 व नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि छोटे खां मृतक की वंशावली निम्न प्रकार हैः–

छोटे खां पुत्र महबूब खां

आकीफ खां (पुत्र)	रहमान खां (पुत्र)	अकीला (पुत्री)	शकूरन पत्नी (मृतक)

इस वाद शकूरन अपीलान्ट की माता भी फौत हो गई उसके पश्चात [illegible] व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पुत्र होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स बनाया है [illegible] होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। विवादित आराजीयात ख0नं0 1551, 1554, 3563, 3565, 3568, 3570, 3603, 3604, 3903, 7047 एवं 7599 वाके ग्राम [illegible]नी जो मृतक छोटे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:28 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खा पुत्र महबूब खां जो अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि छोटे खा अपीलान्ट के पिता फौत होने व उसके बाद बराये बदयान्ती व बेईमानी अपीलान्ट के भाई अकील खां व रहमत खा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्वयं को मृतक छोटे खां का एकमात्र वारिस बतलाते हुए बेईमानी एवं धोखे से दोनो ने अपने हक में नाम फर्जी नामान्तकरण जेर अपील में बिना अपीलान्ट की जानकारी के लाये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत कर खुलवा लिया खातेदारी में अकन करवा लिया। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया और न ही अदालत ने किसी प्रकार का वारिसान के बारे में कतई जांच नहीं की तथा यदि अपीलान्ट को नोटिस दिया जाता तो अपीलान्ट अपना पक्ष एवं सबूत पेश कर देती। मृतक छोटे खा एव शकूरन की अपीलान्ट पुत्री होने से जायज वारिस उत्तराधिकारी होने से छोटे खा, शकूरन कृषि भूमि 1/3, 1/3 हिस्से की हकदार है इसलिये उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध आदेश नल एण्ड वोईड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट मुस्लिम विधि के अनुसार तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे निम्नानुसार लिखित बहस/रूलिंग पेश की गई –

अपीलान्ट पिता छोटे खां पुत्र महबूब खां की वारिसान उत्तराधिकारी पुत्री है और अपने पिता की मृत्यु होने पर वह बराबर की हकदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आकीफ व रहमत खां के वारिसान के अलावा अकीला (अपीलान्ट) भी अपने पिता की छोडी गई कृषि भूमि आराजी की बराबर की हकदार है कानूनी अपील के समर्थन में निम्न कानून पेश है– 1. 2009 (2) आर.आर.टी. 1102, 2. 2016(1) आर.आर.टी. 371

लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 5 गुणावगुण के अनुसार निर्णय करें अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज नहीं करनी चाहिए। अपील मेरिट पर निर्णय किया जाना चाहिए। 1. आरआरडी 1998 पेज 319 2. 2022(2) आर.आर.टी. पेज 791, 2022(2) आर.आर.टी. 1137

राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 78 के अन्तर्गत प्रारम्भ से प्रभाव शून्य व अवैधानिक आदेश की किसी भी समय चेलेन्ज किया जा सकता है। आर.आर.डी. 1990 पेज 479

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2004 व नामान्तरकरण संख्या 129 वाके ग्राम खिरनी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दी गयी दलीलो को खण्डन करते हुए लिखित बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट ने जो लिखित बहस पेश की है। उस बहस में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के कॉस आबजेक्शन का जवाब व खण्डन नहीं किया है ना ही अपील में अंकित आराजीयात अपीलान्ट के पिता की पुश्तैनी आराजीयात है बल्कि उक्त आराजीयात महबूब खां वल्द कादर खा की आराजीयात है इस बाबत वकील अपीलाण्ट ने कोई कानून पेश नहीं किया। इसलिये जो न्यायिक दृष्टान्त वकील अपीलान्ट ने पे[illegible] चस्पा नहीं होते। इसलिये अपील अपीलान्ट निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट ए[illegible] के मौरूसे आला अहसान खां उर्फ यासीन खां थे उसकी साक्ष्य के सम[illegible] की फोटोप्रति पेश की है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस [illegible]के अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:28 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अतः उभय पक्ष की बहस/लिखित बहस/रूलिंग सुनने/देखने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 21.03.2004 व नामान्तकरण संख्या 129 वाके ग्राम खिरनी के विरासत का नामान्तकरण बिना वारिसान की जांच कर गलत खोलने के कारण की है। नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा उक्त विवादित नामान्तकरण सरपंच द्वारा जारी छोटे खां पुत्र महबूब खां के विरासत के सजरे के आधार पर ही खोला गया है। सरपंच द्वारा जारी सजरे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त सजरे में अपीलान्ट जोकि छोटे खां पुत्र महबूब खां की पुत्री है, का नाम शामिल नहीं है। जोकि न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट को छोटे खां पुत्र महबूब खां की पुत्री होना रेस्पोडेन्ट द्वारा भी माना गया है। अतः मै वकील अपीलान्ट की बहस से सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

उक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2004 व नामान्तरकरण संख्या 129 वाके ग्राम खिरनी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया विरासत का नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली नायब तहसीलदार मलारना डूंगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में छोटे खां पुत्र महबूब खां के वारिसान की विस्तृत जांच कर एवं पुष्टि कर पुनः नये सिरे से विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:30:28 IST
Reason: SelfAttested